जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. KRB/Res./2025-26/067 दिनांक : 14/12/2025

प्रतिष्ठा में, आ. सादर सप्रेम नमस्कार
माननीय प्रधानमंत्री महोदय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)
नई दिल्ली

विषय: भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO), कोरबा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति (EC), वायु अधिनियम एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के घोर, जानबूझकर एवं सतत उल्लंघन हेतु तत्काल दंडात्मक कार्रवाई, संयंत्र संचालन पर रोक एवं विस्तार परियोजना की स्वीकृति निरस्त किए जाने के संबंध में।

मान्यवर,

जनहित के इस अत्यंत गंभीर विषय पर यह शिकायत-पत्र आपके संज्ञान में लाना नितांत अनिवार्य हो गया है कि **भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (BALCO), कोरबा** द्वारा एल्यूमिनियम उत्पादन के दौरान **वायु प्रदूषण नियंत्रण मानकों का खुलेआम उल्लंघन** किया जा रहा है। यह उल्लंघन न केवल कानून की अवहेलना है, बल्कि **आम जनजीवन, बच्चों, पशुधन, कृषि एवं पर्यावरण के लिए दीर्घकालिक व पीढ़ीगत संकट** उत्पन्न कर रहा है।

यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि **भारत सरकार आज भी BALCO में 49% हिस्सेदारी रखती है**, परंतु इसके बावजूद **कंपनी के प्रबंधन एवं संचालन पर भारत सरकार का कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है**, जिसके परिणामस्वरूप एक सार्वजनिक संसाधन-आधारित उद्योग द्वारा कानूनों का पूरी निरंकुशता के साथ बेख़ौफ़ होकर उल्लंघन किया जा रहा है।

1. वैज्ञानिक साक्ष्य: मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्टों से उल्लंघन सिद्ध

मान्यता प्राप्त **Vimta Labs** द्वारा Potline-1 एवं Potline-2 से लिए गए नमूनों की रिपोर्टों से निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित होते हैं:

क. पार्टिकुलेट मैटर (PM)

मानक	अनुमेय सीमा	रिपोर्टेड मान	अधिकता	अधिकता प्रतिशत
PM	50 mg/Nm³	1400–1700 mg/Nm³	+1350 से +1650	**2700%–3300%**

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

ख.पार्टिकुलेट फ्लोराइड

मानक	अनुमेय सीमा	रिपोर्टेड मान	अधिकता	अधिकता प्रतिशत
Particulate F	0.65 mg/Nm³	8–13 mg/Nm³	+7.35 से +12.35	**1130%–1900%**

ग. गैसीय फ्लोराइड (Gaseous Fluoride / HF)
अनुमेय सीमा: ≤ 25 mg/Nm³

पॉट लाइन	रिपोर्टेड मान	अधिकता	अधिकता प्रतिशत
Potline-1	96–119 mg/Nm³	+71 से +94	**284%–376%**
Potline-2	137–187 mg/Nm³	+112 से +162	**448%–648%**

→ "यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि गैसीय फ्लोराइड (विशेषकर हाइड्रोजन फ्लोराइड – HF) वातावरण में मुक्त गैस के रूप में भले ही कुछ घंटे अथवा दिनों तक सक्रिय रहती हो, किंतु वायुमंडलीय नमी के साथ प्रतिक्रिया कर यह शीघ्र ही फ्लोराइड आयनों में परिवर्तित होकर मिट्टी, जलस्रोतों, फसलों, पशुधन तथा मानव अस्थि-तंत्र में जमा हो जाती है।

यह जमा हुआ फ्लोराइड (fluoride deposition एवं bio-accumulation) दशकों से लेकर सैकड़ों एवं हजारों वर्षों तक पर्यावरण में बना रह सकता है, जिससे प्रदूषण का प्रभाव अस्थायी नहीं बल्कि दीर्घकालिक, संचयी (cumulative) एवं पीढ़ीगत (inter-generational) बन जाता है।"

जनजीवन पर प्रभाव: आंख-नाक-गला-फेफड़ों में तीव्र जलन, दंत व अस्थि फ्लोरोसिस (विशेषकर बच्चों में), पशुधन में मृत्यु व दूध उत्पादन में गिरावट, फसलों का झुलसना, मिट्टी व भूजल का दीर्घकालिक विषाक्त प्रदूषण।

2. 20 kg/टन फ्लोराइड खपत की अधिकतम सीमा हेतु अधिसूचना जारी-

हाल ही में 21 जुलाई 2025 को एल्यूमिनियम फ्लोराइड की खपत सीमा **20 kg/टन एल्यूमिनियम** उत्पादन पर निर्धारित मानक के अनुरूप स्वीकार्यता हेतु अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है, **पूर्व में यह प्रति टन एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए 10 kg अधिकतम खपत सीमा तक निर्धारित था**, परंतु यह स्पष्ट है कि:

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

- यह सीमा **खपत (consumption)** से संबंधित है, **उत्सर्जन (emission)** से नहीं।
- उत्सर्जन मानक स्वतंत्र, बाध्यकारी एवं अपरिवर्तित हैं।
  → अतः इस अधिसूचना की आड़ में अत्यधिक उत्सर्जन को वैध ठहराना **कानूनी धोखाधड़ी** है।

3. विशाल उत्पादन – भविष्य का भयावह संकेत

उपरोक्त उल्लंघन **2 पॉट लाइनों** के नमूनों पर आधारित हैं, जबकि तीसरी पॉट लाइन के लिए इ.सी. प्राप्त कर लिया गया है । तीनों पॉट लाइन प्रचालन में आ जाने के बाद कोरबा अंचल में प्रदूषण की भयावह स्थिति कल्पना से परे होगी :

- BALCO की वर्तमान उत्पादन क्षमता: **5,70,000 टन/वर्ष**
- विस्तार परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त क्षमता: **3,70,000 टन/वर्ष**
- इसी विस्तार परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) ली गई है।

यह अत्यंत गंभीर है कि जब मौजूदा संयंत्र ही मानकों का पालन नहीं कर रहा, तब भी **FTP (Fume Treatment Plant) की वास्तविक स्थिति का स्थल निरीक्षण किए बिना Korba REO द्वारा Consent to Operate की अनुशंसा** की गई, जो **नियामकीय विफलता एवं संभावित मिलीभगत** को दर्शाती है।

4. संवैधानिक एवं कानूनी उल्लंघन

- संविधान का **अनुच्छेद 21** (स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार)
- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- **Polluter Pays Principle** एवं **Precautionary Principle**

5. मांगें (तत्काल एवं अनिवार्य) कोरबा की जनता आप से लाखों जिंदगियों की रक्षा हेतु आपके हस्तक्षेप हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर मांग करती है कि: -

1. BALCO के संबंधित पॉट लाइनों/संयंत्र का **तत्काल संचालन स्थगित** किया जाए।
2. **स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी** से तकनीकी एवं स्वास्थ्य-आधारित जांच।
3. भारी **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति** एवं प्रभावित नागरिकों/किसानों/पशुपालकों को मुआवज़ा।
4. जिम्मेदार अधिकारियों एवं कंपनी प्रबंधन पर **आपराधिक कार्रवाई**।
5. BALCO की **विस्तार परियोजना की EC/CTO पर तत्काल रोक**।
6. सम्पूर्ण प्रकरण में जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जय ताकि भविष्य में कोई अन्य ऐसा दुस्साहस न कर सके ।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वेदांत प्रबंधन संचालित बालको सयंत्र कोरबा में स्थित है, इसी समूह की कंपनी तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्टरलाइट कॉपर सयंत्र को प्रदूषण मानकों की उपेक्षा किये जाने हेतु व्यापक पैमाने पर जन आन्दोलन की वजह से जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, अनेक वर्षों पूर्व सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। इसी प्रकार के गंभीर मुद्दे पर बालको द्वारा जन स्वस्थ्य से खिलवाड़ करते हुए वातावरण में व्यापक पैमाने पर फैलाये जा रहे गंभीर प्रदूषण को लेकर सरकार की उदासीनता की वजह से कोरबा के जन सामान्य भी कहीं तूतीकोरिन को ही राह पर चलने के लिए विवश न हो जायँ ।

माननीय महोदय, यह मामला केवल एक उद्योग का नहीं, बल्कि **राज्य संरक्षण में हो रहे पर्यावरण अपराध** का है। अतः आपसे विनम्र परंतु दृढ़ आग्रह है कि सम्पूर्ण प्रकरण पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए इस पर **तत्काल हस्तक्षेप** कर आम नागरिकों के जीवन और भविष्य की रक्षा हेतु तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाने हेतु सम्बंधित अधिकारियों / विभागों को यथोचित रूप में निर्देशित करने का कष्ट करें ।

सादर,

जयसिंह अग्रवाल

प्रतिलिपि (CC):

1. माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली
2. सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC), भारत सरकार
3. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), नई दिल्ली
4. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (CECB), रायपुर
5. जिला कलेक्टर, कोरबा (छत्तीसगढ़)

Scanned with OKEN Scanner